

उपायुक्त-कम-अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र।

1. पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, कुरुक्षेत्र।
3. इंसीडैट कमाण्डर-कम-उप मण्डल अधिकारी (नां०), थानेसर, पेहवा, शाहाबाद, लाडवा।
4. सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र।
5. जिला में स्थित उप पुलिस अधीक्षक मार्फत पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र।
6. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक उपभोक्ता मामले, कुरुक्षेत्र।
7. खण्ड विकास एवं विकास पंचायत अधिकारी, थानेसर, पेहवा, ईस्माइलाबाद शाहाबाद, बाबैन, लाडवा, पिपली।
8. कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगरपरिषद/नगरपालिका, थानेसर, पेहवा, ईस्माइलाबाद, शाहाबाद, लाडवा।
9. उप/सहायक श्रम आयुक्त, कुरुक्षेत्र।
10. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कुरुक्षेत्र।
11. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, कुरुक्षेत्र।
12. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
14. स्टैनो टू उपायुक्त/नगराधीश, कुरुक्षेत्र।

क्रमांक ५२५०.७८ /एम.ए दिनांक २६/४/२०

Implementation of Consolidated revised guideline for containment of COVID-19 issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India.

विषयाधीन मामले में आपको प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 302-381 दिनांक 25-4-2020 व वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक PS/FCR&ACS/2020/Spl-5 दिनांक 19 अप्रैल, 2020 तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4000-4020/एफ.आर.ए दिनांक 19-4-2020 के निरन्तर में छोटे निर्माण स्थलों हेतु अतिरिक्त हिदायतें निम्न प्रकार से हैं:-

No permission will be required for small residential/industrial construction sites employing up to 10 workers only within the limit of municipalities, rural areas where workers are available on site and no workers are required to be brought in from outside (i.e. in-situ), subjected to the standard operating procedure w.r.t social distancing, sanitization etc. as stipulated in Annexure-II of Ministry of Home Affairs, Government of India order no. 40-3/2020-DM-I(A) dated 15-4-2020.

The Labour inspector of the concerned area will ensure necessary compliance in this regard along with monitoring, supervision of SOPs by such individuals through Incident Commander-cum-Sub Divisional Officer (c) of area having jurisdiction, in the district.

अतः आप पत्र में वर्णित हिदायतों की दृष्टा व तुरन्त पालना करना सुनिश्चित करें।


उपायुक्त-कम-अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र।

पृष्ठ क्रमांक ५२७९-८३ /एम.ए दिनांक २६/४/२०

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ़।
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, चण्डीगढ़।
4. आयुक्त, अम्बाला मण्डल, अम्बाला।
5. डा. एस.एस. फुलिया, भा.प्र.से., इन्चार्ज कोविड-19, कैम्प, कुरुक्षेत्र।


उपायुक्त-कम-अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र।